भवन निर्माण विभाग

.....

भवन निर्माण विभाग के संलेख ज्ञापांक–7981 दिनांक–31.07.2015 में सन्निहित प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–11.08.2015 में मद संख्या–04 के रूप में सम्मिलित किया गया। बैठक की कार्यवाही के अवतरण के साथ आपकी संचिका लौटायी जाती है।

4. संविदा के आधार पर भवन निर्माण विभाग के अधीन नियोजित कुल 24 (चौबीस) कनीय अभियंता (असैनिक) का. वर्ष 2015 में आदेश निर्गत की तिथि से अगले एक वर्ष तक पुनर्नियोजन किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।

4. स्वीकृत।

11.8.15

(उपेन्द्र नाथ पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

12/8/15

13.8.15

संविदा के आधार पर भवन निर्माण विभाग के अधीन नियोजित कुल 24 कनीय अभियंताओं का अगले एक वर्ष तक पुनर्नियोजन किये जाने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात संकल्प जारी करने हेतु आग्रह किया गया है अनुमोदन हेतु उपर्युक्त प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है।

Scanned with OKEN Scanner

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

संकल्प

विषय:- **संविदा के आधार पर भवन निर्माण विभाग के अधीन नियोजित कुल 24 (चौबीस) कनीय अभियंता (असैनिक) का अगले एक वर्ष तक पुनर्नियोजन किये जाने संबंध में।**

राज्य में कनीय अभियंताओं (असैनिक) की नियुक्ति के लिए जल संसाधन विभाग सोलह विभाग है। जल संसाधन विभाग द्वारा संविदा के आधार पर नियुक्त कनीय अभियंता (असैनिक) की सेवा पथ निर्माण विभाग को सौपी गई एवं पथ निर्माण विभाग द्वारा भवन निर्माण विभाग को सेवा सौपी गयी। संविदा के आधार पर नियोजित कनीय अभियंता (असैनिक) का पुनर्नियोजन अगले एक वर्ष के लिए सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में किया जाता रहा है। संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु सामान्य दिशा निर्देश कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग), बिहार पटना के संकल्प सं0-2401 दिनांक 18.07.2007 द्वारा निर्धारित है।

2. सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0-8025 दिनांक-21.05.2013 द्वारा संविदा के आधार पर नियोजन की अवधि अधिकतम एक वर्ष के लिए निर्धारित की गई है। जिसके अनुसार एक वर्ष की अवधि व्यतीत हो चुकी है। विगत वर्ष में विभागीय कार्यालय आदेश सं0-339 सहपठित ज्ञापांक 16682(भ) दिनांक 26.12.2013 द्वारा 22 (बाइस) एवं विभागीय कार्यालय आदेश सं0-23 सहपठित ज्ञापांक 1136(भ) दिनांक 30.01.2014 द्वारा 02 (दो) कनीय अभियंता (असैनिक) इस प्रकार कुल 24 (चौबीस) को संविदा के आधार पर पुनर्नियोजन किया गया है, जिनका नियोजन अवधि समाप्त हो चुका है। फलतः संविदा के आधार पर नियोजित भवन निर्माण विभाग के अधीन कुल 24 (चौबीस) कनीय अभियंता (असैनिक) का पुनर्नियोजन अगले एक वर्ष तक किये जाने का निर्णय लिया गया है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/बिहार लोक सेवा आयोग/बिहार कर्मचारी चयन आयोग/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

28.8.15

(जनक राम)
सरकार के उप सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-भवन/03-स्था0ए0-22/2013.....9088 (भ)..../ पटना, दिनांक:- 31/8/15

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ और इसकी 100 (एक सौ) मुद्रित प्रतियाँ भेजने हेतु प्रेषित।

कृ0पृ0उ0

(877) (1154)

(जनक राम)
सरकार के उप सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- भवन/03 स्था0ए0-22/2013.....7088(1)..... पटना, दिनांक:- 31/8/15

प्रतिलिपि:-सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(जनक राम)
सरकार के उप सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-भवन/03-स्था0ए0-22/2013.....7088(2)..... पटना, दिनांक:- 31/8/15

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचित/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/ अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता भवन निर्माण विभाग/सभी अर्धीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(जनक राम)
सरकार के उप सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-भवन/03-स्था0ए0-22/2013.....7088(3)..... पटना, दिनांक:- 31/8/15

प्रतिलिपि:-आई0 टी0 मैनेजर, कम्प्यूटर कोषांग, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को कुल 24 (चौबीस) कनीय अभियंता की सूची के साथ विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
अनु: यथोक्त

(जनक राम)
सरकार के उप सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

कार्या0आ0सं0-3-स्था0-प्र0-22/2013.....258..... / पटना, दिनांक-03.9.2015

कार्यालय आदेश

भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक-9088 दिनांक-31.08.2015 द्वारा संविदा के आधार पर कनीय अभियंता (असैनिक) का पुर्ननियोजन अगले एक वर्ष के लिए सरकार द्वारा निरूपित शर्तों एवं बंधेजों के अन्तर्गत किये जाने का निर्णय लिया गया है।

विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-339-सह-पठित ज्ञापांक-16682 दिनांक-26.12.2013 एवं कार्यालय आदेश संख्या-23 सह पठित ज्ञापांक-1136(भ) दिनांक-30.01.2014 द्वारा संविदा पर नियोजित कनीय अभियंता (असैनिक) को विभिन्न अंचलो/प्रमंडलों में पदस्थापित किया गया था जिनकी नियोजन अवधि समाप्त हो चुकी है। उन कनीय अभियंताओं का पुनर्नियोजन आदेश निर्गत की तिथि से अगले एक वर्ष के लिए विस्तार करते हुए पूर्व पदस्थापित प्रमंडल में पदस्थापित किया जाता है जो निम्नरूपेण है।

क्र0	कनीय अभियंताओं का नाम	गृह जिला	पदस्थापित प्रमंडल/अंचल का नाम
1.	श्री सुनील कुमार	अरवल	भवन प्रमंडल, खगड़िया
2.	श्री प्रवेन्द्र कुमार पंडित	वैशाली	भवन प्रमंडल, मुंगेर
3.	श्री संतोष कुमार शर्मा	समस्तीपुर	भवन प्रमंडल, औरंगाबाद
4.	मो0 जावेद अख्तर	मुजफ्फरपुर	भवन प्रमंडल, हाजीपुर
5.	श्री उत्तम कुमार	शेखुपरा	भवन प्रमंडल, छपरा
6.	श्री गोविन्द कुमार शर्मा	बक्सर	भवन प्रमंडल, भागलपुर
7.	मो0 बजैर आलम	मुजफ्फरपुर	भवन प्रमंडल, कटिहार
8.	श्री विपिन कुमार	बक्सर	भवन प्रमंडल, दरभंगा
9.	श्री सीताराम प्रसाद	नालंदा	भवन प्रमंडल, गया
10.	श्री मनोज कुमार	नालंदा	भवन प्रमंडल, पुर्णियाँ
11.	श्री मिथिलेश कुमार	समस्तीपुर	भवन प्रमंडल, गोपालगंज
12.	श्री अभिनाश कुमार सिंह	किशनगंज	भवन प्रमंडल, अररिया।
13.	श्री रंजन राजीव रंजन	नालंदा	भवन अंचल, मुजफ्फरपुर
14.	श्री राहुल कुमार	मधेपुरा	भवन प्रमंडल सहरसा
15.	श्री दिनेश प्रसाद साहू	मधुबनी	भवन प्रमंडल दरभंगा
16.	श्री सन्नी कुमार	प0 चम्पारण	भवन अंचल दरभंगा
17	श्री आनंद कुमार	समस्तीपुर	भवन प्रमंडल किशनगंज
18.	श्री सूर्यमणी कुमार	नालंदा	भवन प्रमंडल नवादा
19.	श्री मृत्युजंय	जमुई	भवन प्रमंडल भागलपुर
20.	श्री ओम प्रकाश राम	गढ़वा	भवन प्रमंडल सासाराम
21.	श्री सरोज कुमार	मधुबनी	भवन प्रमंडल गोपालगंज
22.	श्री राम भारती	रोहतास	भवन प्रमंडल, पूर्णियाँ
23.	श्री कुणाल कुमार	जहानाबाद	भवन प्रमंडल, सिवान
24.	श्री रीतेश कुमार	मुंगेर	भवन प्रमंडल किशनगंज

1. यह नियोजन स्थायी रूप से सृजित पदों के विरूद्ध एवं अधिकतम एक वर्षो के लिए है।

Scanned with OKEN Scanner

2. यह संविदा की अवधि की समाप्ति के पूर्व अवधि विस्तार नहीं हो जाता है तो यह नियोजन स्वतः समाप्त हो जायगी। इसके लिए अलग से कोई आदेश निर्गत किया अपेक्षित नहीं होगा।

3. संविदा के आधार पर नियोजन किये गये कनीय अभियंता को सरकारी सेवक नहीं माना जायेगा और न ही सरकारी सेवक की तरह अनुमान्य किसी भी प्रकार के सुविधा के हकदार होंगे। साथ ही संविदा के आधार पर नियोजन के बाद सरकारी सेवा में नियमितिकरण का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

4. नियोजित कनीय अभियंता (संविदा) की पारिश्रमिक ₹20,000/- (बीस हजार) प्रतिमाह देय होगी।

5. उक्त आदेश के आलोक में योगदान नहीं करने वाले कनीय अभियंता (संविदा) पर यह आदेश लागू नहीं होगा।

6. पदभार ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

7. नियोजन संविदा अवधि (कन्ट्रेक्ट पीरियड) समाप्ति के पूर्व उभय पक्षों द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या एक माह की संविदा राशि का एक मुश्त भुगतान देकर सेवा समाप्त की जा सकेगी।

8. सेवा स्थानान्तरणीय नहीं होगी।

9. शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अहर्त्ताओं की जाँच संबंधित संस्थान/प्राधिकार से कराये जाने पर यदि प्रमाण-पत्र गलत पाया जाता है तो संबंधित कर्मी का नियोजन तत्क्षण समाप्त कर दी जायगी। साथ ही भुगतान की गई पारिश्रमिक की राशि की वसूली नियमानुसार कर ली जायगी। साथ ही वैधानिक/कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

10. कनीय अभियंता (संविदा) की पारिश्रमिक ₹20,000/-(बीस हजार) मुख्यशीर्ष-उपशीर्ष/ लघुशीर्ष के व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ के लिए अदायगियों इकाई से विकलनीय होगी।

11. नियोजित कनीय अभियंताओं के पारिश्रमिक का भुगतान उनके पदस्थापित कार्यालय में कार्य भार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा।

12. पत्र निर्गत की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर पदस्थापित कार्यालयों/प्रमंडलों में योगदान नहीं करने पर नियोजन स्वतः समाप्त हो जायेगा।

13. संबंधित कार्यपालक अभियंता कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग) के संकल्प-सह-ज्ञापांक संख्या 2401 दिनांक 18.07.2007 के आलोक में संबंधित कनीय अभियंताओं से एकरारनामा कराने के पश्चात ही उनके मानदेय का भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे।

3.9.15
(जनक राम)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक- 9264 (म)
पटना, दिनांक- 03.9. 2015

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी सभी संबंधित कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3.9.15
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक- 9264 (म)
पटना, दिनांक- 03.9. 2015

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव कोषांग, भवन निर्माण विभाग/सभी पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग/सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग/ सभी संबंधित संविदा पर नियोजित कनीय अभियंता/आई.टी.मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3.9.15
सरकार के उप सचिव।